

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

युनस खां बनाम मानिकचन्द आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 215/2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ |
|------------|---|--|
| 22.08.2023 | <p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा जोगीआसन नं०-01 तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 30/39 के ख०नं० 1/1 की 2.2340 हैक्टेयर वाद भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल न करे व यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 13/09/2023 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)</p> | |
| 13/9/23 | <p>पत्रावली पेश करने की तारीखी पो. साहब अप्रार्थी क 1, 2 व 3 के ओर ले अप्रार्थी के पक्ष में पत्रावली दि० 29/9/23 को पेश हो।</p> | |
| 21/9/23 | <p>वकील प्रार्थी के ओर से उपरोक्त अप्रार्थी क 1, 2 व 3 के ओर से अप्रार्थी पत्र पेश किया गया जो शुभितर पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली वास्ते अप्रार्थी क 1, 2 व 3 के ओर से पत्रावली दि० 29/9/23 को पेश हो।</p> | |



